

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6)2008/अलेसे-111/

दिनांक :- 12-09-2012

आदेश संख्या 179 / 2012-13

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों, जो वर्तमान में उनके नाम के आगे अंकित विभाग/कार्यालय में अस्थाई कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं और जिन्होंने अभी कनिष्ठ लेखाकार का आधार भूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को आदेश दिये जाते हैं कि वे संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, कलकट्टे परिसर पोस्ट बाक्स संख्या 626, जोधपुर पर दिनांक 24.09.2012 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति देवें। प्रशिक्षण अवधि 13 सप्ताह की होगी तथा इस अवधि में उनके वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा।

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	नाम / पिता का नाम सर्वश्री	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	31	कविता जसोरिया	निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर
2.	46	देवाराम	वरिष्ठ लेखाधिकारी, पूर्व जांच इगानप, जैसलमेर
3.	47	महेन्द्र कुमार वर्मा	कोषालय, बाड़मेर
4.	48	राजेन्द्र बैरवा	कोषालय, बाड़मेर
5.	49	देवपाल मीणा	जिला परिषद (नरेगा), बाड़मेर
6.	75	मनोज कुमार	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बाड़मेर
7.	77	कु0दिनमणी सिंह	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर
8.	80	श्रीमती सरिता चौधरी	कोषालय, नागौर
9.	85	मुकेश भार्गव	कोषालय, जैसलमेर
10.	89	मकखन लाल बुनकर	कोषालय, डूंगरपुर
11.	92	लोकेश कुमार मीणा	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़
12.	97	मनीषा महावर	कोषालय, अलवर
13.	101	पुनम आर्य	तहसील, तिजारा(अलवर)
14.	102	ललिता देवी	कोषालय, दौसा
15.	103	आनन्दी लाल रैगर	उपकोषालय, सागवाडा (डूंगरपुर)
16.	105	राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	कोषालय, डूंगरपुर
17.	106	सुरेश कुमार	कोषालय, बाड़मेर
18.	111	राकेश कुमार भाटी	जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) जालौर
19.	112	मुन्शी राम मीना	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा बाड़मेर
20.	118	तेजाराम रावल	सर्वशिक्षा अभियान, बालोतरा (बाड़मेर)
21.	120	प्रवीण कुमार भागवत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर
22.	121	सुन्दर लाल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायला (जालौर)
23.	128	चेतराम बैरवा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बायतू (बाड़मेर)
24.	129	ओमप्रकाश कुम्हार	उपकोषालय, धरियावाद (प्रतापगढ़)
25.	132	श्रीमती मीना कुमारी	राजस्व मण्डल, अजमेर
26.	133	दिनेश कुमार दोचानिया	उपकोषालय, रानीवाडा (जालौर)
27.	135	मनीष गोरा	उपकोषालय, सायला (जालौर)
28.	139	लक्ष्मीराम	तहसील, जैसलमेर
29.	140	आदित्य अग्रवाल	जिला कलक्टर, डूंगरपुर
30.	141	गुलाब मीणा	तहसील, जमवारामगढ़ (जयपुर)
31.	146	रामचन्द्र सिंह	उपकोषालय, बागोडा (जालौर)
32.	147	हेमराज डावस्या	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी , आसपुर (डूंगरपुर)

33.	148	सुरेश कुमार	सहायक अभियन्ता, भू-जल विभाग, सिरौही
34.	149	हनुमान सहाय बुनकर	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बिच्छीवाड़ा (डूंगरपुर)
35.	150	पूरण मल सैन	कोषालय, डूंगरपुर

उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकारों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32 (2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें किसी कनिष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कनिष्ठ लेखाकार प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन एवं भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही वे निर्धारित प्रपत्र में बाण्ड भरकर पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे। उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षणार्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार दर्शाये गये कॉलम संख्या 4 में अंकित पूर्व एवस्थापित विभाग में उपस्थिति देंगे।


निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6) 2008/अलेसे-111/ 5119-5193

दिनांक :- 12-09-2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, ह0च0मा0राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, (योजना) ह0च0मा0स0 राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, कलक्ट्रेट परिसर पोस्ट बाक्स संख्या 626, जोधपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रति एवं बाण्ड फार्म प्रेषित कर निवेदन है कि बाण्ड फार्म कनिष्ठ लेखाकारों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर सूचित करेंगे।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करते समय इनका सेवाभिलेख एवं एल0पी0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र को भिजवाने की व्यवस्था करें एवं प्रशिक्षण समाप्ति पर कॉलम संख्या 3 में अंकित संबंधित कनिष्ठ लेखाकार को आपके विभाग में कार्यग्रहण करवाकर इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

5. श्री कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....

6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।

7. कंप्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।

8. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक-11)